तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
13/5/22	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों मे व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 30/5/22 को पेश हो ।
30/05/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस सुनी गई। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर स्पष्ट न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर [struck-through word] दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

...रण संख्या: 22 / 2022

...ार्थीगण :–

1. पूराराम पुत्र हरचन्द
2. चनणा पुत्र हरचन्द
3. भेरा पुत्र हरचन्द
4. भवरा पुत्र हरचन्द
5. रामा पुत्र हरचन्द
6. लेहरो पत्नी हरचन्द
   जाति जाट निवासी रामजी का गोल तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. प्रहलाद पुत्र उका
2. पूरा पत्नी उका
3. भूपापुत्र उका
4. रामल पुत्र उका
5. मूला पुत्र प्रभु
6. लुम्भाराम पुत्र प्रभु
7. बनारामपुत्र प्रभु जातियान राईका निवासी बेरीगांव
8. जालाराम पुत्र लिखमाराम
9. दुर्गाराम पुत्र लिखमाराम
10. पनाराम पुत्र लिखमाराम
11. मोडाराम पुत्र लिखमाराम जातिययान रबारी निवासी रामजी का गोल
12. प्रभुराम पुत्र देवाराम
13. भूरचन्द पुत्र केसरीमल जातियान सुथार
14. अचला पुत्र मोडा
15. चूनााम पुत्र धनाराम
16. बिरो पत्नी धनाराम
17. नेनू पत्नी बागा
18. मगना पुत्र बागा
19. मेहरा पुत्र बागा
20. माला पुत्र बागा
21. पाबूराम पुत्र गेनाराम जातियान जाट
22. अजा पुत्र अमी
23. डालू पुत्र अमी
24. बुदरा पुत्र अमी
25. सामती पुत्र अमी
26. पूनमा पुत्र किस्तुरा
27. प्रभु पुत्र किस्तूरा जातियान रबारी निवासी रामजी का गोल
28. कुंभा पुत्र लिछमणा
29. खरथा पुत्र लिछमणा
30. नेना पुत्र लिछमणा
31. खेराज पुत्र चिमना
32. खिया पुत्र चिमना
33. पदमाराम पुत्र चिमनाराम
34. मूलाराम पुत्र चिमनाराम
35. शिवजीराम पुत्र चिमनाराम
36. चतरू पत्नीदमा
37. नाबालिक चूनाराम पुत्र धीराराम संरक्षक भंवरीदेवी
38. नाबालिक झीमा पुत्री धीराराम संरक्षक भवरीदेवी
39. दिनेश पुत्र धीराराम संरक्षक भंवरीदेवी
40. भवरी पत्नी धीराराम
41. नथू पत्नी पूनमा
42. पदमा पुत्र पूनमा
43. जोरा पुत्र मदरूपा
44. इशरा पुत्र मदरूपा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

...पा पुत्र मदरूपा
रामा पुत्र दमा
. लाखा पुत्र भी जातियान जाट निवासी रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी
48. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30/05/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2075–2078 (2078 से स्थायी) सरहद मौजा रामजी का गोल पटवार हल्का बेरीगांव के खेत खसरा नम्बर 54 रकबा 23.6174 हैक्टेयर, 54/2 रकबा 0.1619 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा रामजी का गोल के खेत खसरा नम्बर 54 रकबा 23.6174 हैक्टेयर, 54/2 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त ... अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी ... प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त ... शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:18 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 30/5/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी